संख्याः 270 /लो0नि0–2/04–04(मु.मं.घो.)2004

प्रेषक,

टी0 के0 पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग उत्तरांचल,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनॉकः28फरवरी, 2004

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2003–2004 में जनपद चम्पावत के अन्तर्गत रीठा–अमोडी मोटर मार्ग का नव निर्माण एवं डामरीकरण के कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय आपके पत्र संख्या–776/02 याता0(टी.सी.)उत्तरांचल/2001 एवं अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड,लोक निर्माण विभाग चम्पावत के पत्र संख्या–213/1सी दिनांक 10–2–2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त संदर्भित पत्र द्वारा जनपद चम्पावत के रीठा–आमोडी मोटर मार्ग के नव निर्माण एवं डामरीकरण कार्य के आगणन लागत रू0 1367.63 लाख के परीक्षणोपरान्त औचित्य पूर्ण पायी गयी रू01033.69 लाख (रू0 दस करोड़ तैंतीस लाख उनत्तर हजार मात्र) की लागत केआगणन की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष में रू0 2.00 लाख (रू0 दो लाख मात्र) की धनराशि के व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारास्वीकृत/ अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/ मानचित्र सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय,भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करके,अथवा कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

5. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा, कार्य करते समय टैण्डर विषयक नियमो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

क्रमशः2/–

6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/ विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भॉति निरीक्षण उच्च अधिकारियो एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा ले, निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देश तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय ।

8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

10. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जायेगा, कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी/ अधिशासी अभियन्ता का होगा।

11. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल/ वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनो /पुनरीक्षित आगणनो पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.03.2004 तक उपभोग सुनिश्चित कर लिया जाय ।

12. आगामी किश्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/ भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा,पूर्व स्वीकृत समस्त धनराशि का पूर्ण उपयोग करने के उपरान्त उक्त विवाण उपलब्ध कराये जाने के बाद ही आगामी किश्त अवमुक्त की जायेगी ।

13. इस कार्य पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2003–04 मे अनुदान संख्या– 22 लेखाशीर्षक 5054 सडको तथा सेतुओ पर पूँजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सडके– आयोजनागत–800–अन्य व्यय –03 राज्य सेक्टर 02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

14. यह आदेश वित्त अनुभाग–3 के अशासकीय संख्या –2995 / वित्त अनुभाग–3/ 2004 : दिनॉक 27,फरवरी,, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

क्रमश3/–

संख्याः 290/04(1)/ लो.नि.-2/ 03 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल, इलाहाबाद/देहरादून।
2. आयुक्त कुमॉयू मण्डल, पौड़ी/ नैनीताल।
3. श्री एम. एल. पन्त, अपर सचिव, वित्त (बजट अनुभाग), उत्तरांचल शासन।
4. मुख्य अभियन्ता कुमॉयू क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग , अल्मोड़ा।
5. जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी, चम्पावत ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
8. अधीक्षण अभियन्ता,, 12 वां वृत्त,लोक निर्माण विभाग, पिथोरागढ ।
9. अधिशासी अभियन्ता,प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,चम्पावत ।
10. वित्त अनुभाग-3/ वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन।
11. लोक निर्माण अनुभाग-1, उत्तरांचल शासन।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

joshi-wroo3-tmp